...वकील वादी उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 25-4-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

25-4-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-5-19 को पेश हो।

रीडर

10-5-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-6-19 को पेश हो।

रीडर

13-6-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-7-19 को पेश हो।

रीडर

15-7-19 वकील वादी उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-7-19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

30-7-19 वकील वादी उप०। वादी का दावा प्रस्तुत अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है। ~~पत्रावली~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
81/2016	11.7.2016	30-7-2019

रामसहाय पुत्र गंगाधर, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

1. शांति पत्नी शिवलाल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. धनराज पुत्र शिवलाल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामकेश पुत्र शिवलाल उम्र 16 साल नाबालिग जरिए संरक्षिका मां शांति पत्नी शिवलाल जाति बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. रामचरण पुत्र हरफूल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्री रमेश चन्द गुप्ता, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी रामसहाय पुत्र गंगाधर व हरफूल पुत्र मिश्रा जो प्रतिवादी संख्या 4 के पिता व 1 के ससुर तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के दादा है एवं फौत हो गए हैं, उन्हें व वादी को साबिक ख0नं0 271/1 में 4 बीघा जमीन ग्राम विदरखा दिनांक 25.9.85 को अलोट हुई थी जिस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट होकर पट्टा आदेश दि0 25.9.85 उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी तथा कब्जा दि0 3.12.85 को दिया गया जिसका पट्टा दिनांक 17.12.86 को जारी हुआ । तभी से वादी काश्त करता चला आ रहा है और कब्जे काश्त है। उस समय भू—बन्दोवस्त कार्य चल रहा था जिससे वादी व प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज नहीं हो सका और आज भी वह सरकारी भूमि सरकारी रिकार्ड में दर्ज है। भू—बन्दोवस्त विभाग ने गलत मिलान क्षेत्रफल बना दिया है जिससे सही नम्बरान अंकित किया जाना सम्भव नहीं है। वादी के कब्जे में तभी से ख0नं0 साबिक 271/1 पर सं0 2041 से कब्जा बना हुआ है जिसके काल ख0नं0 1081 रकबा 0.49 है0 किस्म वारानी ख0नं0 48 रकबा 25 एयर एवं ख0नं0 47 रकबा 20 एयर, ख0नं0 46 रकबा 12 एयर कुल रकबा 1.06 है0 वादी की अलोटशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका इन्द्राज सरकारी रिकार्ड में किया जाना आवश्यक है। उक्त इन्द्राज दुरूस्ती नहीं होने का इल्म प्रार्थी को मिलान क्षेत्रफल की नकल दिनांक 25.5.2016 को लेने पर हुआ । दावा अन्दर मयाद पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नं0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

रकबा तथा ख0नं0 46, 47, 48 कुल 1.06 है0 भूमि ग्राम विदरखा तहसील गंगापुर सिटी को वादी व व प्रतिवादी 1 ता 4 की खातेदारी की घोषित की जावे व इसी प्रकार सरकारी रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल भूमि आवंटन फार्म मय आवंटन आदेश व कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नकल भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–6, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2047 प्रदर्श–7, सं0 2046 प्रदर्श–8 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी रामसहाय पी0डब्लू0 1 कराए हैं। इनके अतिरिक्त वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 खाता राज0सरकार व नकल खसरा गिरदावरी सं0 2050 भी प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि ग्राम विदरखा में वादी रामसहाय पुत्र गंगाधर व हरफूल पुत्र मिश्रा बैरवा को दिनांक 25.9.85 को साबिक ख0नं0 271/1 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसका कब्जा दिनांक 30.1.86 को पटवारी हलका द्वारा वादी व हरफूल पुत्र मिश्रा को संभला दिया गया। उस समय भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था इसलिए इस आवंटन का वादी एवं हरफूल पुत्र मिश्रा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो सका परन्तु भूमि पर कब्जा हम आवंटीगण का बदस्तूर चलता रहा। भू–प्रबन्ध में इस भूमि के जो नवीन नम्बर कायम किए गए उन्हें सिवायचक दर्ज कर दिया गया परन्तु भूमि पर वादी का कब्जा बदस्तूर निरन्तर चलता रहा। चूंकि भूमि वादी की आवंटनशुदा भूमि है इसलिए वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे व भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 271/1 रकबा 27 बीघा 18 विस्वा राजकीय बंजड भूमि दर्ज रही है। नकल भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–6 के अनुसार रामसहाय पुत्र गंगाधर व हरफूल पुत्र मिश्रा जाति बैरवा निवासी विदरखा को ग्राम विदरखा में भूमि साबिक ख0नं0 271/1 में 4 बीघा भूमि आवंटित हुई है । कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अनुसार इस आवंटित भूमि पर इन्हें दिनांक 30.1.86 को कब्जा दिया गया। कब्जे के समय बनाया गया नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5 है। वादी ने साबिक ख0नं0 271 का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार साबिक ख0नं0 271 मि. से ख0नं0 1126 रकबा 0.96 है0, साबिक ख0नं0 271 मि., 333 मि. 280 मि. से ख0नं0 1127 रकबा 0.65 है0, साबिक ख0नं0 333/362 मि., 271 मि. से नवीन ख0नं0 1128 रकबा 0.38 है0 बनाया गया है। वादी अपने वादपत्र में हाल ख0नं0 1081, 46, 47, 48 कुल रकबा 1.06 है0 की खातेदारी चाहता है परन्तु ये चारो नम्बर किस साबिक नम्बर से बनाए गए हैं इसका कोई मिलान क्षेत्रफल वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी को भूमि साबिक ख0नं0 271/1 में आवंटित हुई है एवं नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक ख0 नं0 271/1 का रकबा 27 बीघा 18 विस्वा रहा है। इस सम्पूर्ण रकबे से अन्य कौन कौन से नवीन नम्बर बने हैं इसका वादी ने कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है, वादी अपने वाद में यह कहकर आया है कि उसका आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा है परन्तु उसने निरन्तर कब्जे सम्बन्धी राजस्व अभिलेख की प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से वादी का वाद प्रमाणित नहीं होता है एवं स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-7-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

आम अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०

उनवान

रामसहाय पुत्र गंगाधर, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

1. शांति पत्नी शिवलाल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. हंसराज पुत्र शिवलाल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामकेश पुत्र शिवलाल उम्र 16 साल नाबालिग जरिए संरक्षिका मां शांति पत्नी शिवलाल जाति बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. रामचरण पुत्र हरफूल, बैरवा निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 61 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रमेश चन्द गुप्ता, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-7-19 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		